



संख्या-267/2026/1/1378823/2026/001/23-6/21/2026

प्रेषक,

सुबास राम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत गोरखपुर, झाँसी, बस्ती, चित्रकूटधाम (बांदा) एवं मेरठ मण्डल क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 11 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो०नि०वि०, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत गोरखपुर, झाँसी, बस्ती, चित्रकूटधाम (बांदा) एवं मेरठ क्षेत्र के कतिपय जनपदों के 11 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू० 1091.57 लाख (रूपये दस करोड़ इक्यानबे लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय मुख्य अभियंता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	आवंटन धनराशि		
								अनुदान सं०-57	अनुदान सं०-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	23067/CE-SEB/RVB/G KP/2026-27 Dt- 23-06-2026	नि.ख. महाराजगंज	जनपद महाराजगंज में रामगढ़वा पुल से डगरूपुर सम्पर्क मार्ग के चैनैज 0.000 पर स्थित सकरा एवं क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 5x5x5 मी० स्पान की आर०सी०सी० लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	27/2024/208 2/001-1407-2 024-23-11-20 24-दिनांक-06-12-2024	198.73 198.73 11.90 186.83	178.48	8.35	6.58	1.77	8.35
2	तदैव	नि.ख.-2 गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में गुलबन्द सम्पर्क मार्ग पर 3 x 15 मी० स्पान का आर०सी०सी० लघु सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	357/2025/आई/1150304/20 25/23-6099/2 00/2025-दिनांक-21-11-2025	326.07 326.07 3.22 322.85	163.04	159.81	86.67	23.33	110.00
3	22926/CE-SEB/RVB/J HA/2026-27 Dt- 19-06-2026	नि.ख.-1 जालौन	उमरी पतराही जगमनपुर से कंजोसा पथ के किमी 10 में लघु पुल का निर्माण	314/2025/आई/1130295/202 5/23-6099/17 1/2025-दिनांक -31-10-2025	98.11 98.11 0.31 97.80	1.20	96.60	70.91	19.09	90.00
4	तदैव	नि.ख.-1 जालौन	गोपालपुरा से कुरतला सम्पर्क मार्ग के कि०मी०-1 में 4x5x5 सेल लघु सेतु का नव निर्माण कार्य।	02/2026/आई/1192587/2026 /23-6099/239 /2025-दिनांक-01-01-2026	136.89 136.89 0.20 136.69	1.69	135.00	63.03	16.97	80.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5	तदैव	नि.ख. ललितपुर	जनपद ललितपुर हंसार कैलगुवा मार्ग के किमी0-33 (चै0 32.400) में 6x6x5 मी० लघु सेतु (बॉक्स सेल) का निर्माण कार्य।	391/2025/आई /1184713/202 5/23-6099/17 9/2025-दिनांक -23-12-2025	401.42 401.42 50.00 351.42	6.67	344.75	157.58	42.42	200.00
6	23069/CE- SEB/RVB/J HA/2026- 27 Dt- 23- 06-202 6	नि.ख.-1 जालौन	औरखी आमखेड़ा हदरुख मडोरा मार्ग के किमी 2 में 3 सेल 4x4 बॉ क्स कल्वर्ट का निर्माण।	319/2025/आई /1130369/202 5/23-6099/18 5/2025 दि०- 3 1.10.2025	100.38 100.38 0.50 99.88	1.23	98.65	31.52	8.48	40.00
7	तदैव	नि.ख. ललितपुर	जनपद ललितपुर में बांसी जखौरा मार्ग के किमी0 14 में 8x6x6 बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	65/2026/आई/ 1259752/2026 /23-6099/71/ 2026-दिनांक-0 9-03-2026	499.24 499.24 0.01 499.23	6.27	492.96	118.19	31.81	150.00
8	23066/CE- SEB/RVB/B AS/2026- 27 Dt- 23- 06-2026	नि.ख.-1 सिद्धार्थनगर	जनपद सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज-देबरूआ मार्ग (राज्य मार्ग सं०-75) के किमी0-38 में स्थित बिगौवा नाले पर 4x6 मी0 स्पान आर0सी0सी0 बाक्स लघु सेतु का निर्माण कार्य।	192/2023/113 7/23-10002/9 /2023-दिनांक- 04-10-2023	207.80 207.80 17.17 190.63	180.90	9.73	7.67	2.06	9.73
9	23064/CE- SEB/RVB/B AN/2026- 27 Dt- 23- 06-2026	नि.ख.-1 महोबा	जमाला किल्हौआ भटेवरकला गौरहारी मार्ग (आ0जि0मा0) के किमी0 10 में 3x6 मी0 (ऊँचाई 05 मी0) लघु सेतु का निर्माण कार्य।	78/2026/आई /1263768/20 26/23- 6099/85/202 6-दिनांक-12- 03-2026	225.17 225.17 0.92 224.25	4.98	219.27	157.58	42.42	200.00
10	23070/CE- SEB/RVB/ MRT/2026 -27 Dt- 23- 06-2026	प्रा.ख. बागपत	जनपद-बागपत में बन्थला- ढिकौली मार्ग से मुबारिकपुर मार्ग (ग्रामीण मार्ग) के कि०मी0-3 में स्थित संकरी व क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नयी पुलिया का निर्माण कार्य।	302/2025/आ ई/1127658/20 25/23-6099/1 72/2025-दिनां क-30-10-202 5	75.86 75.86 0.50 75.36	71.87	3.49	2.75	0.74	3.49
11	तदैव	प्रा.ख. बागपत	जनपद बागपत में बडौत- कौताना मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 3.650 में संकरी पुलिया के स्थान पर नये लघु का निर्माण कार्य।	125/2026/आई /1275400/202 6/23-6099/93 /2026-दिनांक- 21-03-2026	308.24 308.24 2.00 306.24	10.30	295.94	157.58	42.42	200.00
कुल योग								860.06	231.51	1091.57

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- (3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/ क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। वर्तमान आबंटन के आधार पर लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 8,60,06,000 (रुपये आठ करोड़ साठ लाख छह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 2,31,51,000 (रुपये दो करोड़ इकतीस लाख इक्कावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबास राम)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- (3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
- (4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
- (5) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (7) संबंधित कोषाधिकारी।
- (8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
- (9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
- (10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबास राम)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।